रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 1980/श्रावण 17, 1902
No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 1980/SRAVANA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 471(अ) :—भारत सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 की धारा 10 क) की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी धारा 637(1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 388 क की उपधारा (1) (3) और (5)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"धारा 408 की उपधारा (1) और (2) जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त उपधाराओं के अधीन कम्पनियों के, यथास्थिति, निदेशकों या अपर-निदेशकों की नियुक्ति के लिए चयन से है।"

[फा० सं० 2/14/80-सी-एल-5]

ए० नीलकंठन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1980

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 637, read with sub-section (1) of section 10E, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 443(E), dated the 18th October, 1972, namely :—

In the said notification, after the entry "Sub-sections (1), (3) and (5) of section 388E", the following entry shall be inserted, namely :—

"Sub-sections (1) and (2) of section 408 in so far as they relate to the selection of directors or additional directors, as the case may be, of companies for appointment under the said sub-sections.".

[File No. 2/14/80-C.L.V]

A. NEELAKANTAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980